निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 269/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) मैसर्स श्याम पी वी सी प्रोफाईल इण्डस्ट्रीज एलएलपी

(अ) श्याम कुंज ग्राम व पोस्ट चौप तहसील आमेर जिला जयपुर

(ब) खसरा नम्बर 1008/574 ए, कालाडेरा रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कानरपुरा, जिला जयपुर।

(2) त्रिलोक कुमार प्रधान पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा (पार्टनर एंव गारन्टर)

पता–ए'21 स्वेज फार्म, रामनगर विस्तार, ज्योतिबा फूले कालेज के पीछे, सोडाला, जयपुर।

(3) श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा (पार्टनर एवं गारन्टर)

पता–श्याम कुंज, ग्राम व पोस्ट चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

(4) राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा (गारन्टर)

पता–ए–21, स्वेज फार्म, रामनगर विस्तार, ज्योतिबा फूले कालेज के पीछे, सोडाला, जयपुर ।

(5) सीताराम शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा (गारन्टर)

पता–श्याम कुंज, ग्राम व पोस्ट चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

(6) गजानन्द शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा (गारन्टर)

पता–श्याम कुंज, ग्राम व पोस्ट चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

(7) मैसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज (गारन्टर) जरिये पार्टनर श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा एवं गजानन्द शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा

पता–ए–21, स्वेज फार्म, रामनगर विस्तार, ज्योतिबा फूले कालेज के पीछे, सोडाला, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

आदेश दिनांक: 24.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.01.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) अप्रार्थी मैसर्स श्याम पीवीसी प्रोफाईल इण्डस्ट्रीज एलएलपी की खसरा नम्बर 1008/574 ए, कालाडेरा रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कानरपुरा, जिला जयपुर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंग क्षेत्रफल 7650 वर्गमीटर को बन्धक तथा (1) हाईपोथीकेशन एण्ड फस्ट चार्ज ओवर द यूनिट ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर बुक-डेब्ट्स, रिसिवेबल्स एवं चेक्स ड्राफ्ट्स, बिल्स क्लीन ऑर डाक्यूमेन्ट्री वेदर असेस्टेड ऑफ अदरवाईज (2) हाईपोथीकेशन एण्ड फस्ट चार्ज ओवर द फर्म्स एन्टायर फिक्स्ड असेट्स प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर मूवेबल एण्ड इम्मूवेबल प्रापर्टीज प्लान्ट एण्ड मशीनरी एण्ड अदर मिसलेनियस फिक्स्ड असेट्स को दृष्टि बन्धक रख कर केश केडिट लोन खाते तें 50 लाख रूपये, टर्म लोन खाते में 200 लाख रूपये, टर्म लोन खाते में 50 लाख रूपये इस प्रकार कुल राशि 300 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 300 लाख रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 3,08,33,945/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.03.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के

पक्ष में अप्रार्थी (1) अप्रार्थी मैसर्स श्याम पीवीसी प्रोफाईल इण्डस्ट्रीज एलएलपी की बन्धक सम्पत्ति खसरा नम्बर 1008/574 ए, कालाडेरा रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कानरपुरा, जिला जयपुर स्थित फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंग क्षेत्रफल 7650 वर्गमीटर तथा (1) हाईपोथीकेशन एण्ड फस्ट चार्ज ओवर द यूनिट ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर बुक–डेब्ट्स, सिरिवेबल्स एवं चेक्स ड्राफ्ट्स, बिल्स क्लीन ऑर डाक्यूमेन्ट्री वेदर असेप्टेड ऑफ अदरवाईज (2) हाईपोथीकेशन एण्ड फर्स्ट चार्ज ओवर द फर्म्स एन्टायर फिक्स्ड असेट्स प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर मूवेबल एण्ड इम्मूवेबल प्रापर्टीज प्लान्ट एण्ड मशीनरी एण्ड अदर मिसलेनियस फिक्स्ड असेट्स का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संवधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **24.12.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

24/12/2020
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर